दिनांक 27.12.2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 (यूनिट–2), ग्राम भिक्की, धन्धेडा, सिखेरडा, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा 160 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड अथवा 120 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड + 40 किली0/दिन ग्रेन बेस्ड क्षमता की आसवनी इकाई एवं 7 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु आयोजित लोक सुनवाई के कार्यवृत्त।

दिनांक 27.12.2018 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में, मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 (यूनिट–2), ग्राम भिक्की, धन्धेडा, सिखेरडा, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा 160 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड अथवा 120 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड + 40 किली0/दिन ग्रेन बेस्ड क्षमता की आसवनी इकाई एवं 7 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई। कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में निम्नलिखित अधिकारी/जनसमूह उपंस्थित हुए :–

1– श्री सियाराम मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मुजफ्फरनगर

2– श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

3– श्री विपुल कुमार, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

4– डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरणीय सलाहकार एवं तकनीकी विशेषज्ञ, मै0 एसेन्सो एन्वायरो प्रा0लि0, नोएडा

5– श्री आशीष अवस्थी, सी.जी.एम., मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, मुजफ्फरनगर।

6– श्री जे0पी0 श्रीवास्तव, मैनेजर (पर्सनल), मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, मुजफ्फरनगर।

6– लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमूह की उपस्थित संलग्न है।

सर्वप्रथम श्री विवेक राय, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत आच्छादित है,

अतः इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व नियमानुसार लोक सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है। उक्त अधिसूचना के अनुसार स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लोक सुनवाई हेतु दिनांक 23.11.2018 को समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं दिनांक 24.11.2018 को दि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रस्तावित उद्योग मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, ग्राम भिक्की, धन्धेडा, सिखेरडा, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के प्रस्तावित स्थल पर दिनांक 27.12.2018 की मध्यान्ह 12:00 बजे लिखित रूप में अथवा स्वयं उपस्थित होकर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। समाचार पत्रों के कटिंग की छायाप्रतियां संलग्न हैं। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई दिनांक 27.12.2018 से पूर्व कोई लिखित आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर में प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना का विस्तृत विवरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी जानकारी देने हेतु परियोजना प्रस्तावकों से कहा गया। परियोजना के पर्यावरणीय परामर्शी मै0 एसेन्सो एन्वायरो प्रा0लि0, नोएडा के डा0 मनोज गर्ग द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 (यूनिट–2), ग्राम भिक्की, धन्धेडा, सिखेरडा, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा 160 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड अथवा 120 किली0/दिन मोलासेस बेस्ड + 40 किली0/दिन ग्रेन बेस्ड क्षमता की आसवनी इकाई एवं 7 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कच्चे माल के रूप में 100% मोलासेस आधारित अथवा 120 किली0/दिन मोलासेस एवं 40 किली0/दिन ग्रेन का प्रयोग किया जायेगा तथा 7 मेगावाट को–जनरेशन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में बैगास एवं स्लॉप का प्रयोग किया जायेगा। उद्योग द्वारा 160 कि.ली./दिन रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एब्सोल्यूट एल्कोहल एवं 7 मेगावाट को–जनरेशन की इकाई की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व से स्थापित इकाई परिसर में इकाई की स्वयं की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के जल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

जल प्रदूषण :

उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में प्रतिदिन अधिकतम 1296 किली0 जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भूगर्भीय जल से की जायेगी, जिस हेतु सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की जायेगी। उद्योग में मोलासेस बेस्ड आपरेशन के दौरान जनित स्पेन्ट वॉश को सीधे मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में सांद्रणीकरण करते हुए 60 टीपीएच के ब्वॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा। ग्रेन आधारित उत्पादन के दौरान जनित स्पेन्ट वॉश को मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर द्वारा सांद्रित कर वेट केक के साथ मिलाकर पशु आहार बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया से शत्–प्रतिशत स्पेन्ट वॉश से जनित प्रदूषण को शून्य कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग से अन्य उत्प्रवाह जैसे स्पेन्ट लीज, ब्वायलर ब्लो डाउन, एम.ई.ई. कन्डेन्सेट, कूलिंग टावर ब्लो डाउन को कन्डेन्सेट प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात् प्रक्रिया में पुनः रिसाईकिल कर लिया जायेगा। यह प्रक्रिया उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथा उद्योग द्वारा क्लीन टेक्नोलोजी मिशन के अंतर्गत इसको अपनाये जाने का प्रस्ताव है। इससे जल प्रदूषण शून्य हो जायेगा।

वायु प्रदूषण :

उद्योग में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में 60 टीपीएच क्षमता के ब्वॉयलर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। 60 टी.पी.एच. के ब्वॉयलर से सम्बद्ध नवीन टेक्नॉलोजी पर आधारित बैग फिल्टर तथा भूतल से 60 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जायेगी, जो समग्र पार्टिकुलेट उत्सर्जन तथा गैसीय उत्सर्जन में समस्त प्रदूषणकारी तत्वों को मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण कर सकेगा। इस प्रक्रिया से स्रोत उत्सर्जन ही नहीं, बल्कि परिवेशीय वायुगुणता को मानकों के अनुरूप रखने में सहायता प्राप्त होगी।

ठोस अपशिष्ट :

उद्योग संचालन से जनित स्लॉप को स्लॉप फायर्ड ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। ब्वायलर से जनित ऐश को खाद के रूप में प्रयोग किया जायेगा। फर्मेन्टर स्लज को जैविक खाद बनाने के प्रयोग में लाया जायेगा।

ध्वनि प्रदूषण :

ध्वनि प्रदूषण हेतु उद्योग द्वारा विभिन्न उपाय प्रस्तावित किये गये हैं जिससे परिवेशीय वायुगुणता में ध्वनि मानकों के सापेक्ष पूर्ति कराई जा सके।

ग्रीन बेल्ट का प्राविधान :

उद्योग द्वारा नियमानुसार ग्रीन बेल्ट का प्राविधान प्रस्तावित है।

तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोकसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को लोक सुनवाई किये जाने के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया गया एवं उक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया।

उपस्थित जनसमूह में से निम्न प्रश्न उठाये गये, जिनका उत्तर दिया गया, जो निम्नवत् है :–

1. **श्री मौ0 इस्तकार, ग्राम प्रधान निराना, मुजफ्फरनगर द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, त्रिवेणी के पास से गुजर रहे नाले में प्रदूषित पानी भोपा रोड की फैक्ट्रियों का आता है, जिससे खेतों में पानी जाने पर फसलों का नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के पढ़े–लिखे लोगों को रोजगार दिया जाये।**

उत्तर : पर्यावरणीय परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग से किसी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जायेगा तथा जल प्रदूषण नहीं होगा। उद्योग की प्रक्रिया से जनित स्पेन्टवॉश को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा उसको बॉयलर में प्रयोग करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी ने अवगत कराया कि पूर्व में किये गये निरीक्षण में दोषी पाये गये उद्योगों के विरूद्ध मुकदमे दर्ज कराये गये हैं। हिण्डन एक्शन प्लान के अन्तर्गत सभी नालों को टैप करके शुद्धिकरण करने के पश्चात् सिंचाई आदि में प्रयोग किये जाने की योजना है।

उद्योग के सी.जी.एम. श्री आशीष अवस्थी ने कहा कि प्रस्तावित उद्योग में आसपास के क्षेत्र व ग्रामों से योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार दिया जायेगा। उद्योग की स्थापना के उपरान्त आसपास के क्षेत्र का विकास होगा।

2. **श्री यशवीर सिंह निवासी मुजफ्फरनगर ने प्रश्न किया कि उद्योग लगने से कितने लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ?**

उत्तर : पर्यावरणीय परामर्शी डा0 मनोज गर्ग द्वारा बताया कि सी.जी.एम. श्री आशीष अवस्थी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि क्षेत्रवासियों को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

3. **श्री जयपाल सिंह निवासी ग्राम भण्डूरा द्वारा प्रश्न उठाया गया कि उद्योग से निकलने वाली राख का प्रकोप है, जिससे गांव के लोग अंधे हो गये हैं। प्रदूषण हो रहा है, रबड़ की फैक्ट्रियां लगी हुई है, कपड़े काले हो जाते हैं, पानी खराब हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्रियों से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।**

उत्तर : क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि स्थापित पायरोलाइसिस प्लांट की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, हाल ही में 02 उद्योगों को बोर्ड मुख्यालय द्वारा बन्दी आदेश भी जारी किये गये हैं तथा उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के समुचित संचालन एवं रखरखाव हेतु निर्देश भी दिये गये हैं। भविष्य में भी दोषी उद्योगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे उद्योग से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। उद्योग में ब्वायलर से जनित राख को खाद बनाने में प्रयोग किया जायेगा।

4. **श्री रिजवान निवासी ग्राम निराना द्वारा कहा गया कि उद्योग में बिजली की उत्पादन होगा, उसे ग्रामवासियों को देने की क्या योजना है? सड़क बनवाने की क्या योजना है ?**

उत्तर–पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा उत्तर देते हुए बताया कि उद्योग में खपत के उपरान्त जो बिजली बचेगी, उसको ग्रिड के माध्यम से सरकार को दिया जायेगा, जिसका वितरण सरकार के अधीन होगा। सी.एस.आर. के अन्तर्गत ग्रामों में सोलर लाईट लगवा सकते हैं, सुलभ शौचालय बनवा सकते हैं, विद्यालयों में फर्नीचर दे सकते हैं, हैण्डपम्प लगवाये जा सकते हैं। ग्रामों में सड़क बनवाने का कार्य पी.डब्लू.डी. अथवा सरकार द्वारा कराया जाता है।

5. **श्री अश्वनी कुमार निवासी ग्राम कूकड़ा द्वारा प्रश्न उठाया गया कि क्या उद्योग में जेड.एल.डी. संभव है अथवा नहीं? जेड.एल.डी की मॉनिटरिंग कौन करेगा?**

उत्तर– पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा उत्तर देते हुए बताया गया कि उद्योग में बायो–कम्पोस्टिंग की तकनीकी स्थापित है। उद्योग से जनित स्पेन्टवॉश को एम. ई.ई. से सांद्रित कर ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जायेगा। जनित राख से खाद भी बनायी जायेगी। इस नवीन तकनीक के उद्योग प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी लगे हुए हैं, जिनको देखा जा सकता है। उद्योग में जेड़.एल.डी. की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाये जाते हैं, जिनको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक किया जाता है।

6. **श्रीमती सरिता शर्मा, प्रधानाध्यापिका प्राईमरी स्कूल निराना द्वारा कहा गया कि कि विद्यालय के बच्चे खुले में खाना खाते हैं, इसके लिए विद्यालय में किचन शेड का निर्माण करा दिया जाये तो अच्छा होगा।**

उत्तर–उद्योग के सी.जी.एम. श्री आशीष अवस्थी ने आश्वस्त किया कि उक्त कार्य करा दिया जायेगा।

8. **कुछ व्यक्तियों ने प्रश्न उठाया कि गांव का पानी दूषित हो रहा है, जिस कारण नयी पीढी का भविष्य खराब हो रहा है। उसका समाधान किया जाये।**

उत्तर– क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि उद्योगों के कारण भूगर्भ जल में हैवी मैटल्स न मिलें, Org. contamination न हो, भूजल का recharge हो, इस हेतु उद्योगों को water recharge के लिए सैन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से

निर्देश जारी हैं। ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु जल निगम द्वारा हैण्डपम्प स्थापित किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह से यह कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को परियोजना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देना है तो वह लिखित रूप में अपनी आपत्ति अभी भी प्रस्तुत कर सकता है।

अन्त में सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष महोदयं द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी।

लोक सुनवाई की समाप्ति के उपरान्त आये व्यक्तियों के एक समूह ने लिखित आपत्ति देते हुए कहा कि नये प्लांट की स्थापना हेतु क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं दी गयी। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दोबारा से घोषित कर इसकी जानकारी क्षेत्रीय लोगों को दी जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समूह को मौके पर ही सूचित किया गया कि लोक सुनवाई के आयोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार क्षेत्रीय हिन्दी एवं अंग्रेजी राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक माह पूर्व ही सूचना प्रकाशित करा दी गयी थी। फिर भी आपकी लिखित आपत्ति को लोक सुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित कर लिया जायेगा। लिखित आपत्ति पत्र साथ में संलग्न है।

संलग्नक–लोक सुनवाई की सी0डी0 एवं उपस्थिति।

(विवेक राय) 27/12/18
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुजफ्फरनगर।

27.12.18
(सियाराम मौर्य)
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
मुजफ्फरनगर।